


न्यायालय- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश



कार्यालय कमिश्नर शहडोल
संभाग शहडोल (म.प्र.)

13 JUN 2013

शास्त्रा ₹ १८०/-

अधीक्षक

कमिश्नर

R 2743-III/13

श्री ज्ञानराम श्री गारुद
आवेदक / अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

द्वारिका प्रसाद पाण्डेय उम्र 75 वर्ष पिता स्व० महादेव प्रसाद पाण्डेय
निवासी ग्राम देवगवां पो० आ० पटासी थाना शहडोल तहसील
सोहागपुर जिला शहडोल म० प्र० पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. रमा प्रताप सिंह उम्र 50 वर्ष पिता मोरध्वज सिंह परिहार
निवासी वार्ड नं० 12 शहडोल तहसील सोहागपुर
जिला शहडोल म० प्र०
2. म० प्र० शासन

म० प्र० शासन

गैरपुनरीक्षणकर्तागण

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
शहडोल संभाग

क्रमांक २६०
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
दिनांक ₹ १३/१२ को प्राप्त
मान्यवर,

कलक्त ३०६ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेद

है:-

मामले के तथ्य

1. यह कि उपरोक्त गैर पुनरीक्षणकर्ता रमा प्रताप सिंह द्वारा क्य की ग
भूमि खसरा क्रमांक 234/1/2/2 का जुज रकवा 7 एकड़ भूमि आदिवासी
के कब्जे में होने के आधार पर राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ/90(4)/11-1
के जरिये श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर के आदेश दिनां
18/1/12 के माध्यम से आदिवासी सूरज वगैरह के नाम दर्ज हो गई है
चूंकि भूमि खसरा क्रमांक 234 आज दिनांक तक नक्शा का बंटाकन (तरमी)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक जिला

R2743/II/13 २०५८

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
५. ६. १७	<p>प्रकरण नं. ३४३/१८८/२०५८</p> <p>अवधेद अलीगढ़ अग्रीश नं. १८८/२०५८</p> <p>एवं प्रस्ताव इन दाकिन उम्मीद विदेश के दूर में आगे को व्यापक व्यवस्था का दूर भेजा गया। परन्तु ऐसी उम्मीद नहीं हो रही है आज भी कोई उम्मीद अव्याकृत नहीं हो रही है। अनुभवित नहीं होता। अतः अब प्रकरण अनुभवित को अद्य दूरी में १९१० किम रखा रहा है।</p> <p style="text-align: right;">अलीगढ़</p>	